प्रेषक,

महावीर प्रसाद गौतम,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग लखनऊ : दिनांक 12 जनवरी, 2021

विषय : वित्तीय वर्ष 2020-21 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0123-इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई0जी0एम0एस0वाई0)(के60/रा40-के+रा)" के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में पुनर्विनियोजन के माध्यम से धनराशि की व्यवस्था।

महोदया,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-714/बा0वि0परि0/आई0जी0एम0एस0वाई0/2020-21 दिनांक 13.11.2020 का सन्दर्भ ग्रहण करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0123-इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई0जी0एम0एस0वाई)(के60/रा40-के+रा)" के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) में कुल धनराशि रू0 1417.62 लाख (रू0 चौदह करोड़ सत्रह लाख बासठ हजार) की धनराशि पुनर्विनियोजन के माध्यम से निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

(1) उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार एवं नियमानुसार किया जायेगा। आहरित धनराशि को किसी भी दशा में बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(2) स्वीकृत धनराशि का व्यय केवल प्रश्नगत योजना पर ही, समय-समय पर भारत सरकार/राज्य सरकार के सुसंगत शासनादेशों द्वारा निर्धारित तत्सम्बन्धी मानकों/दिशा-निर्देशों तथा सुसंगत वित्तीय नियमों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा और किसी भी दशा में स्वीकृत धनराशि से अधिक का व्यय नहीं किया जायेगा।

(3) उक्त स्वीकृत धनराशि को किसी अन्य योजना/कार्यक्रम/मद/इकाई पर व्यय नहीं किया जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष आवंटन/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये व्यय पर नियंत्रण के सम्बन्ध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-बी-1-1195/दस-16/94, दिनांक 06 जून, 1994, कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2020/बी-1-149/दस-2020-231/2020, दिनांक 24 मार्च, 2020, शासनादेश संख्या-5/2020/बी-1-196/दस-2020-231/2020, दिनांक 11 अप्रैल, 2020, शासनादेश संख्या-6/2020/बी-1-218/दस-2020-231/2020, दिनांक 18 मई, 2020 तथा शासनादेश संख्या-7/2020-बी-1-306/दस-2020-231/2020, दिनांक 17 जून, 2020 में दिये गये दिशा-निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(5) उक्त धनराशि का आवंटन (एलाटमेंट) मात्र ही किसी प्रकार का व्यय करने का अधिकार प्रदान नहीं करता है। अत: बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत नियमों तथा इस सम्बन्ध में समय-समय पर जारी स्थायी आदेशों के अन्तर्गत जिन मदों पर व्यय करने के लिए राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने से पूर्व तत्सम्बन्धी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा इसे विहित प्रक्रिया एवं नियमों के अनुसार ही व्यय किया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(6) निदेशक, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0 लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि जिस मद से धनराशि संक्रमित की जा रही है, उसमें चालू वित्तीय वर्ष के लिए उक्त प्रयोजन हेतु पर्याप्त धनराशि उपलब्ध है तथा इस मद में चालू वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त धनराशि की मांग नहीं की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-49 के लेखाशीर्षक "2235-सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण-02-समाज कल्याण-102-बाल कल्याण-01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0123-इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (आई0जी0एम0एस0वाई0)(के60/रा40-के+रा)" के मानक मद-20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन) के नामे डाला जायेगा तथा संलग्न प्रपत्र के स्तम्भ-1 में उल्लिखित लेखाशीर्षक के अन्तर्गत उपलब्ध बचतों से पुनर्विनियोग कर वहन किया जायेगा।

4- ये आदेश वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव

संख्या-04 /2021/3067(1)/58-1-2020, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रधान महालेखाकार (सिविल आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4/वित्त आय-व्ययक अनुभाग-1
5. आहरण एवं वितरण अधिकारी, निदेशालय, बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार, उ0प्र0।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

फार्म बी0एम0–9 (भाग–1)

पुनर्विनियोग की स्वीकृति के लिए आवेदन

(बजट मैनुअल का प्रस्तर–158 देखें)

(इस प्रपत्र को भरने से पूर्व पीछे छपे अनुदेशों को भली–भांति देख लिया जाये)

(धनराशि लाख रूपयों में)

अनुदान संख्या व नाम : 49 (महिला एवं बाल विकास विभाग)

वित्तीय वर्ष 2020–21

निम्नलिखित निधियों से प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध अनुदान/विनियोग	आवेदन पत्र देने के दिनांक पर उपलब्ध बचत	संक्रमित की जाने वाली धनराशि	वित्त विभाग द्वारा संक्रमण हेतु अनुमोदित धनराशि	संक्रमण के पश्चात शेष अनुदान/विनियोग (2 – 5)
1	2	3	4	5	6
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
02–समाज कल्याण					
102–बाल कल्याण					
14-समन्वित बाल विकास परियोजना					
01-आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों एवं सहायिकाओं को मानदेय					
07-मानदेय	50000.00	1417.62	1417.62	1417.62	48582.38
योग	**50000.00**	**1417.62**	**1417.62**	**1417.62**	**48582.38**

निम्नलिखित निधियों में प्रस्तावित संक्रमण				वित्त विभाग द्वारा भरा जायेगा	
लेखाशीर्ष (15 डिजिट कोड में) आयोजनागत/आयोजनेत्तर	वित्तीय वर्ष के लिए उपलब्ध अनुदान/विनियोग	वित्तीय वर्ष में प्रत्याशित कुल व्यय	संक्रमण हेतु प्रस्तावित धनराशि (9 – 8)	वित्त विभाग द्वारा अनुमोदित संक्रमण की धनराशि	संक्रमण के पश्चात उपलब्ध अनुदान/विनियोग (8 + 11)
7	8	9	10	11	12
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण					
02–समाज कल्याण					
102–बाल कल्याण					
01–केन्द्र प्रायोजित योजनाएं					
0123–इन्दिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना (के.60+रा.40)					
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर–वेतन)	0.00	1417.62	1417.62	1417.62	1417.62
योग	**0.00**	**1417.62**	**1417.62**	**1417.62**	**1417.62**

(1) स्तम्भ–3 में उपलब्ध बचत का कारण निम्नानुसार है :–

आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्रियों एवं सहायिकाओं को प्रोत्साहन राशि का भुगतान न होने के कारण।

(2) स्तम्भ–8 में उल्लिखित अनुदान के सापेक्ष स्तम्भ–9 में अंकित अधिक व्यय निम्नलिखित कारणों से है :–

भारत सरकार के पत्र संख्या–15–25/2015–एमबीपी, दिनांक 07 अगस्त, 2020 के निर्देश के क्रम में केन्द्रांश के रूप में उपलब्ध धनराशि रू0 1417.62 लाख को एस्क्रू खाते में स्थानान्तरित किया जाना है। वित्तीय वर्ष 2020–21 में कोई बजट व्यवस्था नहीं है। अतः पुनर्विनियोग के माध्यम से धनराशि रू0 1417.62 लाख की आवश्यकता है।

(3) प्रमाणित किया जाता है कि उपयुक्त पुनर्विनियोग में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर – 150 व 151 में निर्दिष्ट प्रतिबन्धों/परिसीमाओं का उल्लंघन नहीं होता है।

संख्या : आरई/250 ई–4-19 –/दस–21 दिनांक : 08 जनवरी, 2021

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,
उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
प्रशासकीय विभाग

(महावीर प्रसाद गौतम)
संयुक्त सचिव,
बाल विकास एवं पुष्टाहार,
उत्तर प्रदेश शासन।

हस्ताक्षर
नाम व पदनाम
वित्त विभाग

(ओम प्रकाश द्विवेदी)
विशेष सचिव,
वित्त विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन।

20-IGMSY

बाल विकास एवं पुष्टाहार अनुभाग

संख्या–04 /2021/3067/58–1–20–2/1(45)10 दिनांक : 12 जनवरी, 2021

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष (नियंत्रक अधिकारी)
2. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, **जवाहर भवन।**
3. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
4. वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
5. वित्त (आय–व्ययक) अनुभाग–1 (दो प्रतियों में)

हस्ताक्षर .....

नाम व पदनाम **(महावीर प्रसाद गौतम),**

संयुक्त सचिव,

प्रशासकीय विभाग बाल विकास एवं पुष्टाहार,

उत्तर प्रदेश शासन।

अनुदेश

(1) प्रत्येक अनुदान/विनियोग के अन्तर्गत मतदेय और भारित व्यय से सम्बन्धित पुनर्विनियोगों के लिए अलग–अलग आवेदन प्रस्तुत किये जाने चाहिये। भारित व्यय से सम्बन्धित प्रस्तावों में लेखाशीर्ष के साथ कोष्ठक में शब्द "भारित" अंकित कर दिया जाय।

(2) जिन लेखाशीर्षों में प्रभाव पड़ेगा, उनका वर्णन ब्यौरेवार अनुमानों और अनुदानों में दिये हुए वर्णन के अनुरूप होना चाहिये।

(3) कालम–2 तथा 8 में मूल बजट प्रावधान, अनुपूरक प्रावधान और पुनर्विनियोगों की धनराशि, जो प्रस्तावित पुनर्विनियोग के दिनांक तक सम्बन्धित लेखाशीर्ष के अन्तर्गत यथाविधि स्वीकृत हुए हों, को सम्मिलित किया जाय।

(4) प्रपत्र के कालम–5, 6 व 11, 12 में वित्त विभाग द्वारा पुनर्विनियोग की स्वीकृति दर्शायी जायेगी।